



महेन्द्र कुमार गुप्ता
MAHENDRA KUMAR GUPTA
संयुक्त सचिव
Joint Secretary

वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद्
अनुसंधान भवन, 2, रफी मार्ग, नई दिल्ली-110 001
COUNCIL OF SCIENTIFIC & INDUSTRIAL RESEARCH
Anusandhan Bhawan, 2, Rafi Marg, New Delhi-110 001

डी.ओ. संख्या: 4-10/2026-HR-II

दिनांक: 24.09.2026

प्रिय निरेश्वर/प्रमुख,

यह देखा गया है कि कुछ मामलों में, कर्मचारियों के स्थानांतरण/तैनाती के बाद उनका आधार-सक्षम बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली (AEBAS) डेटा संबंधित CSIR प्रयोगशाला/संस्थान को तुरंत हस्तांतरित नहीं किया जाता है, जिसके परिणामस्वरूप उपस्थिति दर्ज करने में बाधा आती है और अनावश्यक प्रशासनिक कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं।

AEBAS कर्मचारियों की उपस्थिति और समय की पाबंदी की वास्तविक समय (real-time) और पारदर्शी निगरानी के लिए एक महत्वपूर्ण प्रणाली है। इसलिए, यह आवश्यक है कि इस प्रणाली को सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों में समान रूप से और प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और जब भी किसी कर्मचारी का स्थानांतरण एक CSIR प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में हो, तो उसकी उपस्थिति का रिकॉर्ड बिना किसी रुकावट के बना रहे।

तदनुसार, सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के प्रमुखों को निम्नलिखित सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है:

- मौजूदा निर्देशों के अनुसार AEBAS को सख्ती से लागू करना। यह सुनिश्चित किया जाए कि सभी कर्मचारी AEBAS पर पंजीकृत हों।
- जब भी किसी कर्मचारी का स्थानांतरण/तैनाती एक CSIR प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई से दूसरी जगह की जाती है, तो AEBAS से संबंधित कर्मचारी प्रोफाइल/डेटा को तुरंत और बिना किसी अनावश्यक देरी के नए प्रतिष्ठान में स्थानांतरित/मैप किया जाना चाहिए।
- स्थानांतरण करने वाली प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि AEBAS में कर्मचारी के स्थानांतरण/डी-मैपिंग के लिए उसकी ओर से सभी आवश्यक कार्रवाई तुरंत पूरी की जाए, जबकि प्राप्त करने वाली प्रयोगशाला/संस्थान/इकाई अपनी AEBAS प्रणाली में कर्मचारी की तत्काल मैपिंग/सक्रियण सुनिश्चित करेगी।
- AEBAS डेटा के स्थानांतरण/मैपिंग में प्रशासनिक देरी के कारण उपस्थिति दर्ज करने में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए।

- v. प्रत्येक प्रयोगशाला/संस्थान में नामित AEBAS नोडल अधिकारी/कर्मचारी ऐसे मामलों की बारीकी से निगरानी करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि आवश्यक कार्रवाई निर्धारित/आवश्यक समय के भीतर पूरी हो जाए।

प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के प्रमुख यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी कर्मचारी के स्थानांतरण के बाद उसके AEBAS रिकॉर्ड को स्थानांतरित/मैप करने में किसी भी अनावश्यक देरी के लिए उचित स्तर पर जिम्मेदारी तय की जाए।

ऊपर दिए गए निर्देशों के पालन की पुष्टि करने वाली एक अनुपालन रिपोर्ट (compliance report), इस सर्कुलर के जारी होने की तारीख से 15 दिनों के भीतर CSIR मुख्यालय, HR-II डिवीजन को भेजी जा सकती है।

सादर,

(महेन्द्र कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव (प्रशा.) 24/9/26

सेवा में,

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख

प्रतिलिपि:

1. सभी CSIR प्रयोगशालाओं/संस्थानों/इकाइयों के प्रशासन प्रमुख।
2. सभी संबंधित AEBAS नोडल अधिकारी/प्रशासक - आवश्यक कार्रवाई के लिए।
3. PS से DG, CSIR – जानकारी के लिए।
4. कार्यालय प्रति।